# फर्द अहकाम

## कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

**प्रार्थी : श्री नाहरसिंह** | **विपक्षी : श्री महेन्द्रसिंह**

**किस्म मुकदमा – 251''क'' रा.का. अधिनियम** | **पत्रावली संख्या : 20/21**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

दिनांक :. 18.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प नूरडा में पेश हुई। तहसीलदार मावली से. रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना. गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता मय प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रतिवादी सं. 1 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 1157, 1167, 1547 से 1151, 1557, 1561, 1563, 1564, 1578, 1616, 1621 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1618, 1619 में से होकर 15 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थी के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता आराजी नम्बर 1618 में से 0.0081 हेक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रयुक्त होती है, जिसकी डीएलसी दर 89,131/– प्रति बीघा के हिसाब से रास्ते की राशि 4,457/– रूपये होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है, वह वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 8 के नाम पर दर्ज हैं। इस प्रकार नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना न्यायहित में उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## –: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पिपरोली पंटवार हल्का नूरडा की आराजी नम्बर 1157, 1167, 1547 से 1151, 1557, 1561, 1563, 1564, 1578, 1616, 1621 में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 से 8 की आ.न. 1618 मे से 0.0081 हेक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए .से बी तक 15 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 89,131/– अक्षरे नवासी हजार एक सौ [illegible] रूपयें प्रति बीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0081 हेक्टेयर की कुल [illegible]60/– रूपये बनती है, जिसका दुगुना 8920/– रूपयें आठ हजार नौ सौ बीस [illegible] प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी सं. 1 से 8 को क्षतिपूर्ति के रूप में [illegible] राशि विपक्षी सं. 1 [illegible] को भूगतान के. पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बि[illegible]म गैर मुमकिन रास्ता [illegible] किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 12:39:31 IST
Reason: SelfAttested